रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 5, 1974 (अश्विन 13, 1896)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5, 1974 (ASVINA 13, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	877
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1569
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	103
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1115
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	*
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5693
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	665
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	41
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	477
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	143
पूरक संख्या 40 —	
28 सितम्बर 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1245
7 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संबंधी आंकड़े	1259

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	877
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1569
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	103
PART I—Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1115
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5693
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	665
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	143
SUPPLEMENT No. 40	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 28th September 1974	1245
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 7th September 1974	1259

*Folio not received from Ring Road Press, New Delhi, till the time of its going to Machine.

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1974

सं० 94-प्रेज/74—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कृष्णजी रंगाराव देसाई, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल सं० 1193,
थाना टेरदल,
जिला बीजापुर,
कर्नाटक ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 दिसम्बर, 1973 को बनहट्टी के पुलिस उप निरीक्षक को सूचना मिली कि बनहट्टी के लोग बड़ी संख्या में सभी दुकानों को जबरदस्ती बन्द कराने के लिए रबकवी की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस उप-निरीक्षक ने सभी उपलब्ध कर्मचारियों को इकट्ठा किया और भीड़ को मार्ग में रोका और उससे बनहट्टी वापस लौट जाने का आग्रह किया । किन्तु इसका उत्तेजित भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और उसने पुलिस दल पर पत्थर फैंकने शुरू कर दिए तथा पुलिस दल पर हावी हो गए । इस बीच पुलिस उप-निरीक्षक स्वयं वहां से बच निकले और उन्होंने कुमुक के लिए पास के क्षेत्रों तथा जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया । इस बीच भीड़ आगे बढ़ आई और सांगली बैंक पर आक्रमण कर दिया । उन्होंने एक पावरलूम फैक्ट्री को भी आग लगा दी । भीड़ ने उन दो हैड कांस्टेबलों पर पथराव किया, जो फैक्ट्री में ड्यूटी पर थे । स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखकर कांस्टेबल कृष्ण जी रंगाराव देसाई ने साहस करके पांच राउंड गोलीयां चलाई । गोलीबारी के कारण तीन व्यक्ति जख्मी होये इससे दो हैड कांस्टेबलों की जाने तो बच गईं किन्तु क्रुद्ध भीड़ अब उस कांस्टेबल के खून की प्यासी हो गई जिसने गोली चलाई थी । वह उनकी ओर दौड़ी और उन पर आक्रमण कर दिया । घिरे हुए कांस्टेबल को बचाने के लिए भीड़ ने अन्य पुलिस कर्मचारियों को आगे नहीं आने दिया । कांस्टेबल अकेला ही अदम्य साहस से क्रुद्ध भीड़ का सामना करता रहा । उस भीड़ को कुछ समय तक रोके रखा और कुमुक प्राप्त करने के लिए बाह्य चौकी की ओर दौड़ा । किन्तु भीड़ ने उसका बुरी तरह पीछा किया और इमारत को आग लगा देने की धमकी दी । वे कांस्टेबल को बाह्य चौकी से बाहर घसीट कर ले आए और पत्थर मार-मार कर उसे मार डाला। भीड़ हिंसा पर इतनी उतारू हो गई थी कि कांस्टेबल को मारने के बाद उसके शव पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी ।

पुलिस कांस्टेबल श्री कृष्णजी रंगाराव देसाई ने उपद्रवी भीड़ के प्रकोप से सार्वजनिक सम्पत्ति को बचाने में उत्कृष्ट वीरता और निर्भीकता दिखाई तथा उच्च-कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया । अपने साथियों की जाने बचाने में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 95-प्रेज/74—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सूर्यकान्त शंकर जोग,
पुलिस उपायुक्त,
विशेष शाखा-1, सी० आई० डी०,
बम्बई,
महाराष्ट्र,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29 जुलाई, 1973 को जब श्री सूर्यकान्त शंकर जोग हवाई अड्डे को जा रहे थे तो उन्होंने संचुरी बाजार के पास वीर सावरकर मार्ग पर सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ देखी और एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को सड़क पर भागते हुए देखा । श्री जोग ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और जब वे संदिग्ध व्यक्ति के ठीक आगे गए तो उन्होंने उसे पकड़ लिया । संदिग्ध व्यक्ति ने छुरा निकाल लिया परन्तु श्री जोग ने अपने बाएं हाथ से उस व्यक्ति पर जोर से प्रहार किया जिसके फलस्वरूप उसके हाथ से छुरा गिर गया । संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ड्राइवर की सहायता से पकड़ लिया । बाद में पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति एक आदमी के छुरा घोंप चुका था और बचकर भागने का प्रयत्न कर रहा था । इस घटना से पूर्व संदिग्ध व्यक्ति ने अपनी मंगेतर पर मिट्टी का तेल डाल कर उसे जलाने का प्रयत्न किया था ।

श्री जोग ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने में साहस तथा सूझबूझ का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है ।

सं० 96-प्रेज/74—राष्ट्रपति गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बनाभाई लखाभाई परमार,

पुलिस उप-निरीक्षक,

बड़ौदा ग्रामीण जिला,

गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

बड़ौदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चोरभुज गांव के जै सिंह नागजी द्वारा डराने धमकाने के बारे में सूचना मिलने पर दिनांक 31-12-73 को गांव में एक पुलिस दल भेजा गया । दल का नेतृत्व श्री बनाभाई लखाभाई परमार कर रहे थे । गांव पहुंचने पर श्री परमार ने कथित जै सिंह नागजी को शराब के नशे में पाया और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया । जब जैसिंह नागजी को पुलिस वाले अपनी जीप की ओर ले जा रहे थे तो उसका भाई तथा अन्य सम्बन्धी उसके बचाव के लिए आए । उन्होंने बलपूर्वक उसे मुक्त कराने का प्रयत्न किया । ये व्यक्ति घातक हथियारों से लैस थे । जैसिंह नागजी के भाई मानसिंह ने छुरा निकाला और पुलिस उप-निरीक्षक को उसे घोंपने का प्रयत्न किया । हैड कांस्टेबल गुलाब सिंह ने वार रोकने की कोशिश की, जिससे उसके बाएं हाथ में छुरे से घाव हो गया और मानसिंह ने श्री परमार को घायल कर दिया । मानसिंह को पकड़ने तथा उसके हाथ से छुरा छीनने में पुलिस दल सफल नहीं हुआ । इस बीच संघर्ष के दौरान श्री परमार के सिर पर चोट आई । इसका लाभ उठा कर मानसिंह ने श्री परमार के पेट में छुरा घोंप दिया जिसके परिणामस्वरूप उनकी आंत बाहर आ गई । अपने घावों की परवाह न करते हुए अन्ततः श्री परमार मानसिंह को पकड़ने में सफल हुए । तब पुलिस दल मानसिंह तथा जैसिंह नागजी दोनों को गिरफ्तार करने से में सफल हुआ ।

हथियारबन्द अपराधियों को पकड़ने में श्री बनाभाई लखाभाई परमार ने उदाहरणीय साहस तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 दिसम्बर 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 97-प्रेज०/74—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नारायण चन्द्र पहाड़िया,

कांस्टेबल सं० 967,

जिला नादिया,

पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री नरायण चन्द्र पहाड़िया, 28 फरवरी, 1974 को बहुत सवेरे हरिपुर में अपराध विरोधी गश्ती ड्यूटी पर भेजे गये पुलिस दल के सदस्य थे । लगभग 20-25 व्यक्तियों के दल ने जिन में कुछ लोग खाकी वर्दी में थे, अचानक पुलिस दल पर गोली चला दी । इस गोलाबारी के परिणामस्वरुप एक कांस्टेबल मारा गया । फिर भी कांस्टेबल नारायण चन्द्र पहाड़िया, हतोत्साहित नही हुये । उन्होंने मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलाई । जब डाकुओं ने उन्हें घेरने का प्रयत्न किया, तो वे रेंग कर साथ के मकान की दीवार के कोने में पहुंच गये और सुरक्षात्मक स्थिति संभाली तथा डाकुओं से अकेले लड़ते रहे । अपनी राइफल से पांच राउंड गोली चलाने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी राइफल की मैगजीन में गोलियां नहीं रहीं तो उन्होंने अपने मृतक साथी की राइफल उठा ली और फिर साहस के साथ अपराधियों के गिरोह पर गोलियां चलानी शुरु कर दी । उनकी गोलीबारी के परिणामस्वरुप दो डाकू घटनास्थल पर मारे गये और अन्य अपने साथ एक घायल व्यक्ति को लेकर बंगलादेश सीमा की ओर बचकर भाग गये ।

श्री नारायण चन्द्र पहाड़िया ने डाकुओं के सशस्त्र गिरोह, जो पुलिस दल से संख्या में कहीं अधिक था, का मुकाबला करने में उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये किया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 फरवरी, 1973 से दिया जायगा ।

सं० 98-प्रेज/74—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बी० कृष्णम राजू,

पुलिस उप निरीक्षक,

श्री काकुलम जिला,

आंध्र प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 सितम्बर, 1972 को गांव दोल और गोविंदपुरम, जो आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में स्थित है, 10 फूट गहरे बाढ़ के पानी में डूब गये थे । इन डूबते हुए ग्रामवासियों ने मकानों की छतों पर चढ़कर अपने आपको बचाने का प्रयत्न किया किंतु वहां भी वे सुरक्षित नहीं रह सके क्योंकि पानी के तेज और भंवरदार बहाव के कारण घरों

के छप्पर समुद्र की ओर तेजी से बहने लगे। लोग भयभीत थे। इस संकटकाल में श्री बी० कृष्णम राजू, पुलिस उप-निरिक्षक, ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालते हुए तेज पानी में एकदम छलांग लगाई तथा भयभीत और निस्सहाय ग्रामीणों को एक कामचलाऊ नौका द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर लाने में सफल हुए। उसी रात उस क्षेत्र में आसपास के गांवों में भी बचवा कार्यों का उन्होंने आयोजन किया और बहुत से लोगों की जानें बचा सके।

श्री बी० कृष्णम राजू ने श्रीकाकुलम जिले के डूबते हुए लोगों की जानें बचाने में उत्कृष्ट साहस और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर 1972 से दिया जायगा।

सं० 99-प्रेज०/74—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम पद

श्री हनमन्तु जगन्नाड्कुलु दोरा,
पुलिस उप आयुक्त,
हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

कमांडर वर्क्स इंजीनियर, हैदराबाद के कार्यालय का एक गोरखा चौकीदार धनबहादुर 14 अक्टूबर, 1972 को आपे से बाहर हो गया। वह एक चाकू तथा एक बन्दूक लिये हुये था। जब दो पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने चौकीदार की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तो उसने गोली चला दी और मेजर के० राज गोपाल को जो पुलिस दल के साथ-साथ थे घायल कर दिया। पुलिस कर्मचारियों को आता देख कर धनबहादुर सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गया तथा उसने एक और गोली दागी जो एक अन्य व्यक्ति को लगी। सूचना मिलने पर, पुलिस उप आयुक्त श्री हनुमन्तु जगन्नाड्कुलु दोरा कुमक के साथ शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात श्री दोरा पुलिस दल की एक टुकड़ी के सथ उपर की मंजिल पर पहुंचे, जबकि अन्य टुकड़ी ने धनबहादुर को सामने की ओर से गोलाबारी में उलझाये रखा। ऊपर की मंजिल पर पुलिस टुकड़ी को पुन: दो हिस्सों में बांट दिया गया जो दोनों ओर से धन बहादुर की ओर बढ़ने लगे। आक्रमणकारी धनबहादुर का चारों ओर से घेर लिया और उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया।

इस कार्यवाही में श्री हनुमन्तु जगन्नाड्कुल दोरा ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

अशोक मित्र,
राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व तथा बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1974

संकल्प

सं० 146(10)/73-टी० पी० एल०—वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा कम्पनी कानून विभाग) के 20 जून 1964 के संकल्प सं० 8/8/64-टी० पी० एल० के अधीन पुनर्गठित प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, नई दिल्ली, का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है:—

(1) अध्यक्ष		वित्त मंत्री
(2) संसद के चार सदस्य		
(3) दो पदेन सदस्य	(i)	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के संघ का अध्यक्ष
	(ii)	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ मण्डलों का अध्यक्ष।
(4) आठ अन्य गैर सरकारी सदस्य		
(5) तीन सरकारी सदस्य	(i)	वित्त सचिव
	(ii)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष
	(iii)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड का वरिष्ठ सदस्य।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड का एक सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

एस० आर० मेहता, अपर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 अगस्त 1974

सं० 1/6/72-सी०टी०ई०—केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के निदेशक, प्रोफेसर दिनेश मोहन और औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के निदेशक डा० एस० एच० जैदी, को दिनांक 16 अगस्त 1974 से इंजीनियरी दल और जैविक विज्ञान दल की समन्वयन परिषदों का क्रमशः चेयरमैन, मनोनीत किया गया है। फलस्वरूप, डा० ए० लाहिड़ी और डा० एम० एल० धार के नाम और पद अधिसूचना क्रमांक 1/6/72-सीटीई दिनांक 10-8-73 के क्रमांक 6(ए) और 6(सी) में कोष्टक के अन्तर्गत प्रदर्शित भारत के राजपत्र भाग I अनुभाग 1 में सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) की शासी सभा के पुनर्गठन के संबंध में प्रकाशित हुए थे, के स्थान अब प्रोफेसर दिनेश मोहन, निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की और डा० एस० एच० जैदी, निदेशक, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के नाम क्रमशः कर दिये गये हैं।

सं० 1/8/71-सीटीई—केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के निदेशक प्रोफेसर दिनेश मोहन और औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के निदेशक डा० एस० जैदी को दिनांक दिनांक 16 अगस्त 1974 से इंजीनियरी दल और जैविक विज्ञान दल की समन्वयन परिषदों का क्रमशः चेयरमैन मनोनीत किया गया है। फलस्वरूप, डा० ए० लाहिड़ी और डा० एम० एल० धार के नाम और पद अधिसूचना क्रमांक : 1/8/71-सीटीई दिनांक 20-10-1973 के क्रमांक 4(ए) और 4(सी) में कोष्टक के अन्तर्गत प्रदर्शित भारत के राजपत्र भाग-1 अनुभाग 1 में सी० एस० आई० आर० की शासी सभा-सोसाइटी (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के सदस्यों के मनोनयन के संबंध में प्रकाशित हुए थे, के स्थान पर अब प्रोफेसर दिनेश मोहन, निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की और डा० एस० एच० जैदी, निदेशक औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के नाम क्रमशः कर दिये गये हैं।

के० जी० कृष्णमूर्ति,
संयुक्त सचिव, (पदेन)

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर, 1974

सं० X 19013/1/72-डी०—औषधि द्रव्य और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 7 की उपधारा (I) के अनुसरण में और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1-3/47-डी (II), तारीख 13 सितम्बर 1948 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार औषधि द्रव्य परामर्श समिति को तुरन्त पुनर्गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार नाम निर्दिष्ट

1. श्री पी० एस० रामचन्द्रन, — अध्यक्ष
   भारतीय औषधि द्रव्य नियंत्रक,
   स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. डा० एस० एस० गोठोस्कर, — सदस्य
   उप औषधि द्रव्य नियंत्रक (भारत),
   स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
   नई दिल्ली।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

3. डा० ओ० पी० शर्मा, — सदस्य
   अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
   (पदेन औषधि द्रव्य नियंत्रक)
   दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
4. डा० बी० ए० आर० मूर्ति, — सदस्य
   चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
   लक्षदीव, कावरत्ती द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र,
   वरास्ता एच० पी० ओ० कालीकट।
5. डा० (श्रीमती) एस० खोसला, — सदस्य
   राज्य औषधि द्रव्य नियंत्रक (पंजाब)
   पंजाब सरकार, चण्डीगढ़।
6. श्री एफ० पाहूनूना, — सदस्य
   मिजोरम स्वास्थ्य सेवा निदेशक, मिजोरम
   सरकार, (आईजल)
7. डा० एस० पी० झा — सदस्य
   निदेशक एवं अपर सचिव, स्वास्थ्य सेवा,
   बिहार, बिहार, सरकार, पटना।
8. डा० कोस्टा फोयाज, — सदस्य
   औषधि द्रव्य नियंत्रक, (गोवा)
   गोवा दमन और दीव सरकार,
   लोक स्वास्थ्य विभाग, पणजी।
9. श्री एम० के० रंगनेठर, — सदस्य
   आयुक्त, खाद्य और औषधि द्रव्य प्रशासन,
   महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई।
10. डा० (श्रीमती) एस० कटारिया, — सदस्य
    स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं उप सचिव (स्वास्थ्य)
    और औषधि द्रव्य नियंत्रक,
    चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।
11. श्री के० एन० शानभोगे, — सदस्य
    औषधि द्रव्य नियंत्रक (बंगलौर)
    मैसूर राज्य (अब कर्नाटक), बंगलौर।
12. थिरू बी० जयासंथ नाथम, — सदस्य
    औषधि द्रव्य निरीक्षक (मुख्यालय)
    पांडिचेरी सरकार, पांडिचेरी।
13. श्री एस० सी० शाह — सदस्य
    निदेशक, औषधि द्रव्य नियंत्रक प्रशासन,
    गुजरात सरकार, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग,
    सचिवालय, गांधीनगर।
14. डा० ओ० लिंगडोह, — सदस्य
    स्वास्थ्य सेवा निदेशक और
    औषधि द्रव्य नियंत्रक (मेघालय)
    स्वास्थ्य विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग।
15. श्री एन० चन्द्रशेखरन नायर, — सदस्य
    औषधि द्रव्य नियंत्रक (त्रिवेन्द्रम)
    केरल सरकार स्वास्थ्य (डी) विभाग,
    त्रिवेन्द्रम
16. श्री आर० बी० पाणी, — सदस्य
    संयुक्त औषधि द्रव्य नियंत्रक (उड़ीसा)
    उड़ीसा सरकार, स्वास्थ्य और परिवार
    नियोजन विभाग, भुवनेश्वर।
17. डा० पी० डी० माथुर, — सदस्य
    निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा
    (राजस्थान) राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. डा० ए० सी० कार — सदस्य
    निदेशक, औषधि द्रव्य नियंत्रक (पश्चिम बंगाल)
    पश्चिम बंगाल सरकार, चिकित्सा शाखा,
    स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
    कलकत्ता।

19. डा० एन० जी० बनर्जी, सदस्य
औषधि द्रव्य नियंत्रक और स्वास्थ्य सेवा
निदेशक (असम) असम सरकार, स्वास्थ्य
और परिवार नियोजन विभाग, शिलांग ।

20. डा० एम० एन० नागू; सदस्य
औषधि द्रव्य नियंत्रक मध्य प्रदेश,
लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन
विभाग, भोपाल ।

21. डा० ए० के० भौमिक, सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दादर और
नगर हवेली, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य
विभाग, सिलवासा ।

22. थिरु सी० वी० नरसिम्हन, सदस्य
उपराज्य औषधि द्रव्य नियंत्रक,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
मद्रास ।

23. श्री सी० गोपालाकृष्णन मूर्ति, सदस्य
उप औषधि द्रव्य नियंत्रक, आन्ध्र प्रदेश
आन्ध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य और नागर
पालिका प्रशासन, विभाग, हैदराबाद ।

24. डा० पी० आर० सोंधी, सदस्य
राज्य औषधि द्रव्य नियंत्रक,
हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़

25. डा० पी० कुमुद सिंह, सदस्य
डी० एम० एच० एस०,
एण्ड एफ० पी०,
मणिपुर सरकार,
चिकित्सा विभाग, इम्फाल

26. डा० पी० पी० गोगोई, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश,
शिलांग ।

27. डा० जे० सी० शर्मा, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
एवं औषधि द्रव्य नियंत्रक,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला ।

28. डा० एस० कौल, सदस्य
औषधि द्रव्य नियंत्रक,
जम्मू व कश्मीर सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
श्रीनगर ।

सती नायर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1974

संकल्प

सं० आर०-13011/5/74-यो० तथा एम० (सायु० वि०)—इस विभाग के 20 जुलाई, 1974 के इसी संख्या के संकल्प, जिसके द्वारा सामुदायिक विकास और पंचायतीराज के कार्यकरण की जांच करने के लिए तीन व्यक्तियों की समिति गठित की गई है, में प्राफे० वी० के० एन० मेनन के स्थान पर श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम, निदेशक, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर 20 को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाता है ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प के संशोधन की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प के संशोधन को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मं० आ० कुरैशी, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1974

संकल्प

सं० 25-8/68-एल० डी०-1—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 26-8/68-एल० डी०-1 दिनांक 7 अप्रैल, 1972 और संख्या 25-8/68-एल० डी०-1 दिनांक 7 जुलाई, 1972 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि दिनांक 7 अप्रैल, 1972 के संकल्प की मद संख्या (10) के सामने की प्रविष्टि में डा० सी० कृष्ण राव, पशु पालन आयुक्त के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये :—

(1) डा० एम० एन० मेनन, पशु पालन आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

आई० जे० नायडू, अपर सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति निम्न को भेज दी जाये :—

(1) समस्त राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
(2) लोक सभा सचिवालय
(3) राज्य सभा सचिवालय
(4) प्रधान मंत्री सचिवालय ।
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय ।
(6) श्री एम० एन० राव, पशुपालन आयुक्त, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।
(7) श्री जी० के० मित्तर अध्यक्ष, गोरक्षा समिति, 36/4 साउथ एण्ड पार्क, कलकत्ता-29 ।
(8) श्री एम० करुणानिधि, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु, मद्रास ।
(9) श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
(10) श्री एच० एन० बहुगुणा, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(11) श्री सिद्धार्थशंकर राय, मुख्य मंत्री, पश्चिम, बंगाल कलकत्ता ।
(12) स्वामी आनन्द जी महाराज, मंत्री भारत साधू समाज, केन्द्रीय आश्रम 22, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली ।
(13) श्री गोस्वामी गिरधारी लाल जी, प्रधान मंत्री, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब, भूपेन्द्र भवन पहाड़गंज, नई दिल्ली, 55

(14) स्वामी योगेश्वर विदेही हरिजी महाराज, द्वारा भारत गोसेवक समाज, 3 सदर थाना रोड, दिल्ली-6 ।

(15) श्री अक्षय कुमार जैन, सम्पादक, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

(16) डा० धर्म नारायण, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

(17) डा० सी० कृष्ण राव, निदेशक, पशुपालन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ।

(18) श्री एच० ए० बी० परपिया, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य तकनोलोजीकल अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।

(19) डा० वी० कुरीयन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात) ।

(20) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली

(21) स्थापना-1 स्थापना-2, स्थापना-3, स्थापना-4, स्थापना-5, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

(22) सूचना अधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करा दिया जाये ।

एम० पी० खोसला,
उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1974

सं० 10-3/74-फेट—कृषि मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ 16-72/47 नीति, दिनांक 8 नवम्बर, 1948 के अनुसार गठित, संकल्प संख्या 10-1/65-फेट दिनांक 9 सितम्बर, 1966 द्वारा पुनर्गठित और अद्यतन संशोधित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति में ग्रामीण जनता के हितों (रूरल पीपुल्स इन्टीरस्ट्स) का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, अर्थात् सर्वश्री शारद पवार माधव सिंह सोलंकी, वृज मोहन मोहंती और आयी गोन्दर की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को 1-7-1974 से तीन वर्ष की अवधि के लिये ग्रामीण जनता के हितों (रूरल पीपुल्स इन्टीरस्ट्स) का प्रतिनिधित्व करने के लिये इस समिति में मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री डी० कृष्णा रेड्डी, सदस्य विधान सभा, नरासराद पेठ, जिला गुन्तूर, आन्ध्र प्रदेश ।
2. श्री राम कुमार दास, नारायण दास रोड, मुंगेर, बिहार ।
3. श्री ई० बी० निम्बलकर, सदस्य विधान सभा, यशवन्त कालोनी, अहमदनगर (महाराष्ट्र) ।
4. श्री एम० ए० आयी० गोन्दर, डाकखाना कासी पलायम, गोबी चेती पलायम, तमिलनाडु ।

अबू हाकिम,
निदेशक (विदेश सहायता)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st September 1974

No. 94-Pres./74.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name and rank of the officer

Shri Krishnaji Rangarao Desai, (Deceased)
Constable No. 1193,
Terdal Police Station,
District Bijapur,
Karnakata.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 13th December, 1973 information was received by the Police Sub-Inspector Banhatti that the people of Banhatti were advancing towards Rabkavi in large number for enforcing the closure of all shops. The PSI mustered all available staff and intercepted the crowd and tried to pursuade them to return to Banhatti. This, however had no effect on the excited crowd and they started pelting stones at the police party and were able to overpower them. The PSI meanwhile managed to extricate himself and tried to contact nearby areas and district headquarters for re-inforcement. Meanwhile the crowd surged ahead and attacked the Sangli Bank. They also set fire to a powerloom factory. The crowd stoned two Head Constables who were on duty at the factory. On seeing the situation going out of control, Constable Krishnaji Rangarao Desai took courage and fired five rounds. Three persons were injured due to firing but this enabled lives of two Head Constables to be saved. However, the frenzied crowd was now after the blood of the Constable who had fired. They rushed towards him and assaulted him. The crowd also prevented other policemen to come to the rescue of the beleaguered Constable. The Constable with indomitable courage fought a lone battle against the frenzied crowd. He kept them at bay for some time and managed to rush to the outpost to get the reinforcement but the crowd gave him a hot pursuit, and threatened to set fire the building. They dragged the Constable out of the outpost and stoned him to death. So violent was the crowd that they did not remain satisfied even with killing of the Constable but sprinkled kerosene oil on the dead body and set fire to it.

Shri Krishnaji Rangarao Desai Police Constable exhibited conspicuous gallantry and fearlessness and displayed a high sense of duty in saving public property from the fury of the riotous mob. In saving lives of his collegues he laid down his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th December, 1973.

No. 95-Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Suryakant Shankar Jog,
Deputy Commissioner of Police,
Special Branch I, C.I.D.,
Bombay,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 29th July, 1973, when Shri Suryakant Shankar Jog was proceeding to the air port he noticed crowds on either side

of the road near the Century Bazar on Veer Savarkar Marg and a stoutly built man running across the road. Shri Jog drove slightly ahead and when the suspect appeared right in front, he caught hold of him. The suspect whipped out a knife but Shri Jog gave him a hard hit with his left hand, as a result of which the knife fell down from the hand of the suspect. The suspect was overpowered with the help of the police driver of the vehicle in which Shri Jog was travelling in. Later it transpired that the suspect had stabbed one person and was trying to escape. Before that incident the same suspect had poured kerosene oil on the person of his fiancee and tried to burn her.

Shri Suryakant Shankar Jog exhibited courage and presence of mind in apprehending a dangerous criminal.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 96-Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Banabhai Lakhabhai Parmar,

Sub-Inspector of Police,

Baroda Rural District,

Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of a complaint about intimidation against one Jesing Nagji of village Chorbhuj in rural area of Baroda District, a police party was sent to the village on 31-12-73. Shri Banabhai Lakhabhai Parmar led the party. On reaching the village Shri Parmar found the said Jesing Nagji in a drunken state and ordered his arrest. When Jesingh Nagji was being escorted to the Police jeep, his brother and other relatives came to his rescue. With the show of force, they tried to get his release. These persons were armed with lethal weapons. Mansingh brother of Jesingh Nagji whipped out a knife and tried to stab the Police Sub-Inspector. Head Constable Gulabsingh who tried to ward off the blow received knife injury on his left hand. Mansingh was, however, able to injure Shri Parmar. Attempts of the police party to overpower Mansingh and snatch away the knife from him did not succeed. Meanwhile in a melee Shri Parmar was struck on the head and taking advantage of this Mansingh thrust a knife in Shri Parmar's abdomen as a result of which his intestines came out. Unmindful of these injuries Shri Parmar was finally able to catch hold of Mansingh. The Police party was able to arrest both Mansingh and Jesing Nagji.

In apprehending armed criminals Shri Banabhai Lakhabhai Parmar, exhibited exemplary courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st December, 1973.

No. 97-Pres./74.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of officer

Shri Narayan Chandra Paharia,

Constable No. 967,

District Nadia,

West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Narayan Chandra Paharia was a member of a police party sent on anticrime patrol duty at Haripur in the early hours of the morning of 27th February, 1974. The Police Party was taken unawares by sudden firing from a group of about 20/25 men, some of them in Khaki uniform. One Constable died as a result of this firing. This however, did not unnerve Constable Narayan Chandra Paharia who returned fire after taking position. When the dacoits tried to encircle him, he crawled to the corner of a wall of the adjacent house and took up a defensive position and carried on a single-handed fight against the dacoits. After firing 5 rounds from his own rifle when he saw that the magazine of his rifle had been exhausted, he took the rifle of his dead colleague and again started firing on the criminal gang courageously. As a result of his firing two dacoits were killed on the spot and others made the escape towards Bangladesh border taking one injured person with them.

Shri Narayan Chandra Paharia showed conspicuous gallantry in facing an armed gang of dacoits which far outnumbered the police party.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th February, 1974.

No. 98-Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri B. Krishnam Raju,

Sub-Inspector of Police,

District Srikakulam,

Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 20th September 1972, villages Dola and Govindapuram which are situated in Srikakulam District of Andhra Pradesh were submerged in 10 feet deep flood water. The marooned people of these villages tried to save themselves by climbing up the top of the roofs of the houses but they could not be safe even there as the thatched roofs were fast drifting towards the sea due to the force of the swirling waters. There was panic around. At this juncture Shri B. Krishnam Raju, Sub-Inspector of Police, at grave risk to his own life plunged headlong into the surging waters and by means of an improvised raft succeeded in bringing the panic stricken helpless villagers to a place of safety. On the same night he also managed to conduct rescue operations at other surrounding villages in the area and was able to save the lives of many people.

Shri B. Krishnam Raju exhibited conspicuous courage and devotion to duty in saving the lives of the marooned people in Srikakulam district.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th Sept. 1972.

No. 99-Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hanamanthu Jagannaikulu Dora,

Deputy Commissioner of Police,

Hyderabad,

Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 14th October 1972, one Gorkha Chowkidar Dhan Bahadur belonging to the officer of the Commander, Works Engineer, Hyderabad, rank berserk. He carried a knife and a gun. When two police officers, who reached the scene, tried to make a move towards the Chowkidar, he fired a shot and injured one Major K. Rajagopal who was accompanying the police party. On seeing the police personnel approaching, Dhan Bahadur ran upstairs and fired one more shot hitting another person. On getting the information, Shri Hanumanthu Jagannaikulu Dora, Deputy Commissioner of Police, rushed to the site with reinforcement. After surveying the scene, Shri Dora reached the first floor along with one section of the police party; the other section kept Dhan Bahadur engaged from the front side. The police party on the first floor was again divided into two groups with each group approaching the place where Dhan Bahadur was sitting, from opposite directions. The assailant Dhan Bahadur was encircled from all sides and was made to surrender his arms.

In this operation Shri Hanumanthu Jagannaikulu Dora exhibited conspicuous gallantry.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

A. MITRA, Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 31st August 1974

RESOLUTION

No. 146(10)/73-TPL—The Direct Taxes Advisory Committee at New Delhi, as re-constituted under the Ministry of Finance (Department of Revenue & Company Law) Resolution No. 8/8/64-TPL dated the 20th June, 1964 is further re-constituted as under :—

(1) Chairman — Minister of Finance

(2) Four Members of Parliament.

(3) Two *ex-officio* Members :—

(i) President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry;

(ii) President of the Associated Chambers of Commerce & Industry of India.

(4) Eight other non-official members.

(5) Three official members—

(i) Finance Secretary;

(ii) Chairman, Central Board of Direct Taxes;

(iii) Senior Member, Central Board of Direct Taxes.

One of the Secretaries of the Central Board of Direct Taxes will act as Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. MEHTA,
Addl. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 16th August 1974

No. 1/6/72-CTE—Prof. Dinesh Mohan, Director, Central Building Research Institute, Roorkee and Dr. S. H. Zaidi, Director, Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow have been nominated as Chairman of the Co-ordination Councils Engineering Group and Biological Sciences Group, respectively with effect from 16th August 1974. Consequently, the name and designation of Dr. A. Lahiri and Dr. M. L. Dhar appearing in brackets under S. No. 6(a) and 6(c) of Notification No. 1/6/72-CTE dated 10-8-1973 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India regarding reconstitution of the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research be and are hereby replaced with Prof. Dinesh Mohan, Director, Central Building Research Institute, Roorkee and Dr. S. H. Zaidi, Director Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow, respectively.

No. 1/8/71-CTE—Prof. Dinesh Mohan, Director, Central Building Research Institute, Roorkee and Dr. S. H. Zaidi, Director, Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow have been nominated as Chairman of the Co-ordination Councils Engineering Group and Biological Sciences Group, respectively with effect from 16th August 1974. Consequently, the name and designation of Dr. A. Lahiri and Dr. M. L. Dhar appearing in brackets under S. No. 4(a) and 4(c) of Notification No. 1/8/71-CTE dated 20-10-1973 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India regarding nomination of members of the Governing Body of the CSIR on the Society (Council of Scientific and Industrial Research) be and are hereby replaced with Prof. Dinesh Mohan, Director, Central Building Research Institute, Roorkee and Dr. S. H. Zaidi, Director Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow, respectively.

K. G. KRISHNAMURTHI,
Jt. Secy. Ex. (Officio)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi-11, the 20th September 1974

No. X. 19013/1/72-D—In pursuance of sub-section (1) of section 7 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 1-3/47-D (II) dated the 13th September, 1948 the Central Government hereby re-constitutes with immediate effect the Drugs Consultative Committee consisting of the following members, namely :—

Nominated by the Central Government :

1. Shri P. S. Ramachandran, Drugs Controller of India, Directorate of Health Services, New Delhi. — Chairman

2. Dr. S. S. Gothoskar, Deputy Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services, New Delhi. — Member

Representative of the State Government nominated by the States/Union Territories :

3. Dr. O. P. Sharma, Additional Director of Health Services, (Ex-Officio, Drugs Controller), Delhi Administration, Delhi. — Member

4. Dr. B. S. R. Moorthy, Director of Medical and Health Services, Union Territory of Laccadives, Kavaratti Island, *Via* H. P. O. Calicut. — Member

5. Dr. (Mrs.) S. Khosla, State Drugs Controller (Punjab), Government of Punjab, Chandigarh. — Member

6. Shri F. Pahnuna, Director of Health Services of Mizoram, Government of Mizoram, Aizawal. — Member

7. Dr. S. P. Jha, Director cum-Additional Secretary, Health Services, Bihar, Government of Bihar, Patna. — Member

8. Dr. Costa Frias. Drugs Controller (Goa), Government of Goa, Daman and Diu, Public Health Department, Panaji. — Member

9. Dr. M. K. Rangnekar, Commissioner, Food and Drugs, Administration, Maharashtra State, Bombay. — Member

10. Dr. (Mrs.) S. Kataria, Director, Health Services-cum-Deputy Secretary (Health) and Drugs Controller, Chandigarh Administration, Chandigarh. — Member

11. Shri K. N. Shanbhogue, Drugs Controller (Bangalore), Government of Mysore, (now Karnataka), Bangalore. — Member

12. Thiru V. Jeyasanthanathan, Drugs Inspector (Head quarters) Government of Pondicherry, Pondicherry. — Member

13. Shri S. C. Shah, Director Control Administration, Government of Gujarat, Panchayats and Health Department, Sachaivalaya, Gandhinagar. — Member

14. Dr. O. Lyngdoh, Member
Director of Health Services,
and Drugs Controller (Meghalaya),
Health Department,
Government of Meghalaya,
Shillong.

15. Shri N. Chandrasekharan Nair, Member
Drugs Controller,
(Trivandrum),
Government of Kerala,
Health (D) Department,
Trivandrum.

16. Shri R. B. Pany, Member
Joint Drugs Controller (Orissa),
Government of Orissa,
Health and Family Planning Department,
Bhubneshwar.

17. Dr. P. D. Mathur, Member
Medical and Health Services,
(Rajasthan),
Government of Rajasthan,
Jaipur.

18. Dr. A. C. Kar, Member
Director,
Drugs Control (West Bengal),
Government of West Bengal,
Medical Branch,
Department of Health and
Family Planning,
Calcutta.

19. Dr. N. G. Banerjee, Member
Drugs Controller and Director of
Health Services (Assam),
Government of Assam,
Health and Family Planning Department,
Shillong.

20. Dr. M. N. Nagu, Member
Drugs Controller
Madhya Pradesh,
Public Health and Family Planning
Department, Bhopal.

21. Dr. A. K. Bhaumik, Member
Chief Medical Officer,
Dadra and Nagar Haveli,
Medical and Public Health Department,
Silvasa.

22. Thiru C. V. Narasimhan, Member
Deputy State Drugs Controller,
Health and Family Planning Department,
Madras.

23. Shri C. Gopalakrishna Murthy, Member
Deputy Drugs Controller,
Andhra Pradesh,
Government of Andhra Pradesh,
Health and Municipal
Administration Department,
Hyderabad.

24. Dr. P. R. Sondhi, Member
State Drug Controller,
Government of Haryana,
Health Department,
Chandigarh.

25. Dr. P. Kumud Singh, Member
Director of Medical Health Services
and Family Planning,
Government of Manipur,
Medical Department,
Imphal.

26. Dr. P. D. Gogoi, Member
Director Health Services,
Arunachal Pradesh,
Shillong.

27. Dr. J. C. Sharma, Member
Director of Health Services-cum-
Drugs Controller,
Government of Himachal Pradesh,
Simla.

28. Dr. S. Kaul, Member
Drugs Controller,
Government of Jammu & Kashmir,
Health and Family Planning Department,
Srinagar.

SMT. SATHI NAIR
Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 6th September 1974

RESOLUTION

No. R-13011/5/74-P & C (CD)—This Department's resolution of even number dated the 20th July 1974 setting up a three-man committee to go into the working of Community Development and Panchayati Raj amended to include Shri T. S. Avinashilingam, Director, Sri Ramakrishna Mission Vidyala, Coimbatore-20 vice Prof. V. K. N. Menon.

ORDER

ORDERED that a copy of the amendment resolution to be communicated to all concerned.

ORDERED also that the amendment to the resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. A. QURAISHI,
Secy.

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 7th September 1974

RESOLUTION

No. 25-8/68-LD. I—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 26-8-68-LD. I dated the 7th of April, 1972 and No. 25-8/68-LD I dated the 7th of July, 1972, on the Central Government have decided that for the entry against item No. (10) of the Resolution dated the 7th April 1972 in lieu of "Dr. C. Krishna Rao, Animal Husbandry Commissioner" the following may be substituted :—

(1) Dr. M. N. Manon, Animal Husbandry Commissioner Department of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.

I. J. NAIDU
Additional Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Dr. M. N. Rao, A. H. C., Department of Agriculture, New Delhi.
7. Shri G. K. Mitter, Chairman, Committee on Cow Protection, 36/4, South Encl. Park, Calcutta-29.
8. Shri M. Karunanidhi, Chief Minister, Tamil Nadu, Madras.
9. Shri Prakash Chander Sethi, Chief Minister, Madhya Pradesh, Bhopal.
10. Shri H. N. Bahuguna, Chief Minister, U. P., Lucknow.
11. Shri Sidharatha Shanker Roy, Chief Minister, West Bengal, Calcutta.
12. Swami Anandji Maharaj, Mantari Bharat Sadhu Samaj, Kendriya Ashram, 22-Sardar Patel Marg, New Delhi.
13. Shri Goswami Girdhari Lalji, Pradhan Mantri, Sanatan Dharam Pratinidhi Sabha, Punjab Bhupendra Bhavan, Pahar Ganj, New Delhi.
14. Swami Yogeshwar Videhi Hariji Maharaj, Dwara Bharat Gosevak Smaj, 3-Sadar Thana Road, Delhi-6.
15. Shri Akshay Kumar Jain, Editor, Nav Bharat Times, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
16. Dr. Dharam Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, Krishi Bhawan, New Delhi.
17. Dr. C. Krishna Rao, Director Animal Husbandry, Andhra Pradesh, Hyderabad.

18. Shri H. A. B. Parpia, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
19. Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat).
20. I. C. A. R. Krishi Bhawan, New Delhi.
21. E. I., E-II, E-III, E-IV, Depptt. of Agriculture, New Delhi.
22. Information Officer, Deptt. of Agriculture, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GURDIAL MOHAN,
Under Secy.

New Delhi, the 18th September 1974

No. 10-3/74-FAIT—On the expiry of the term of members representing the Rural People's Interests, namely, S/Shri Sharad Pawar, Madhav Singh Solanki, Braja Mohan Mohanty and Aye Gounder, on the National FAO Liaison Committee constituted under the Ministry of Agriculture in Resolution No. F. 16-72/47-Policy dated the 8th November 1948, and reconstituted under Resolution No. 10-1/65-FAIT dated the 9th September 1966, as amended to date, the following have been nominated to serve on the Committee as representatives of the Rural People's Interests, for a period of three years from 1-7-1974 :—

1. Shri D. Krishna Reddy, M. L. A.,
Narasaraopet Peth,
District Guntur,
(Andhra Pradesh).
2. Shri Ram Kumar Das,
Narayan Das Road,
Monghyr, (Bihar).
3. Shri E. B. Nimbalkar, M. L. A.,
Yaswant Colony,
Ahmednagar (Maharashtra).
4. Shri M. A. Aye Gounder,
Kasipalayam, P. O.
Gobichettipalayam,
Tamil Nadu.

ABU HAKIM,
Director (Foreign Aid)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 8th September 1974

RESOLUTION

No. ERBI/72/21/118—Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERBI/72/21/118 dated 19-1-1973 and 27-9-1973 regarding constitution of the Committee on Inventory Management on Railways. The Government have decided to nominate Shri P. N. Kaul, Member Mechanical, Railway Board, as a member of this committee in place of Shri N. N. Tandon who has retired from service.

A. L. GUPTA,
Secy., Rly. Board
& Ex-Officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974